Case Study-13

रजनीकांत दूबे
मुसतानि/इंजीनियरिंग

एक मंडल के अधीन सीसेई/पुल द्वारा कराये गये तीन पुलो के पेंटिंग कार्य के संबंध में --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में जांच के दौरान यह पाया गया कि सम्बन्धित सीसेई/ पुल द्वारा तीन पुलो (ओपेन बेव गर्डर) की पेंटिंग कार्य में उपयोग किये जाने वाले प्राइमर IS:104, रेड ऑक्साइड IS:2074 तथा एल्मुनियम पेंट IS:2339 को सक्षम अधिकारी से बिना पास कराए ही पेंटिंग कार्य करा दिया गया ।

- सीसेई द्वारा भुगतान करने हेतु पेटिंग कार्य से पूर्व पुराने सतह की मोटाई का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाना था परन्तु सम्बन्धित सीसेई/पुल द्वारा मोटाई का रिकार्ड नहीं लिया गया । पुल के पुराने सतह की मोटाई न लिए जाने की दशा में यह स्पष्ट रूप से नहीं मापा जा सकता है कि, एजेंसी द्वारा नया कार्य कितनी मोटाई का किया गया है और भुगतान किस मोटाई के लिए किया जाना है ?

- स्पेशिफिकेशन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम कोट की पेंटिंग के संतुष्ट होने के उपरांत ही द्वितीय कोट की पेंटिंग करने हेतु अनुमोदन दिये जाने का स्पष्ट निर्देश है परन्तु इस कार्य में इस निर्देश का अनुसरण नही किया गया ।

****